भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3601

बुधवार, 24 जुलाई, 2019/2 श्रावण, 1941 (शक)

मेक इन इंडिया के अंतर्गत रोजगार सृजन

3601. डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डीः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत चार वर्षों के दौरान 'मेक इन इंडिया' पहल के अंतर्गत सृजित अतिरिक्त रोजगार और नियोजित व्यक्तियों का तत्संबंधी वर्ष-वार, राज्य-वार ब्यौरा और सेक्टर-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए 'मेक इन इंडिया' पहल के पुनर्गठन हेतु कोई समीक्षा की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) 'मेक इन इंडिया' पहल के माध्यम से रोजगार सृजन में वृद्धि के लिए किए गए प्रयासों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): भारत सरकार ने निवेश को सुकर बनाने, नवप्रवर्तन को बढ़ावा देने, निर्माण-संबंधी श्रेष्ठतम ढ्रांचा बनाने, व्यापार करने को आसान बनाने तथा कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2014 में मेक इन इंडिया पहल की शुरूआत की। सरकार ने निवेश के लिए सहायक वातावरण सृजित करने तथा मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश व्यवस्था का उदारीकरण, व्यापार करने को सरल बनाना, स्टार्ट-अप इंडिया, स्किल इंडिया तथा क्षेत्रक योजनाएं/कार्यक्रम शामिल हैं, जो देश में प्रतियोगितात्मकता में सुधार लाएंगे। मेक इन इंडिया पहल 27 क्षेत्रों – 15 विनिर्माण क्षेत्र एवं 12 सर्वोत्तम सेवा क्षेत्र पर संकेन्द्रित है। इस पहल के अंतर्गत क्षेत्रक कार्रवाई योजनाएं प्रत्येक क्षेत्र में अवसंरचना को बढ़ावा देने, राजकोषीय प्रोत्साहन, कौशल विकास आदि के लिए उपायों को शामिल करती हैं। प्रत्येक क्षेत्र हेतु कार्रवाई योजनाएं संबंधित प्रशासकीय मंत्रालय/विभाग द्वारा कार्यान्वित एवं नियंत्रित की जाती हैं। इस पहल के अंतर्गत कार्यकलाप समय-समय पर केंद्र सरकार के अनेक मंत्रालयों/विभागों तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से शुरू किए जाते हैं। इन उपायों के ब्यौरे का केंद्रीय रूप से रख-रखाव नहीं किया जाता है।

******